न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज गल्ली देवी बनाम जगदीश प्रसाद मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 8-05-2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प गढहिम्मतसिंह पेश हुई। प्रार्थिया स्वयं उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि ग्राम भण्डपुरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 51,52,53,54,55,56,57 कुल किता 7 रकबा 1.62 हैक्टयर व ग्राम गढहिम्मतसिंह की भूमि खसरा नम्बर 17,21,22,23,25,26,28,29,31,32,33,35,36,78,79,90,91,93,139,143,146,147,148 कुल किता 23 रकबा 4.64 हैक्टयर सायलान व गैरसायल संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार सदस्य है तथा एक ही पूर्वज कन्हैया की सन्तान है। सायला के पति हरीकिशन का दुर्भाग्यवशः स्वर्गवास हो चुका है जिसके दो पुत्र है। सायला दिनांक 5-8-17 को अपने हिस्सा की आराजी की देखभाल कर रही थी तो गैरसायल संख्या 1 ने सायला को धमकी दी कि आयन्दा जमीन पर मत आना इस जमीन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं इस जमीन को दीगर व्यक्तियों को विकय कर रहा हूं। यदि गैरसायल अपनी धमकी में सफल हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये किन्तु तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये इसलिये एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

हमने सायला स्वयं को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073-74 का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम भण्डपुरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 51,52,53,54,55,56,57 कुल किता 7 रकबा 1.62 हैक्टयर मे गैरसायलन संख्या 1 जगदीशप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह 1/4 भाग का सहखातेदार दर्ज है तथा ग्राम गढहिम्मतसिंह की भूमि खसरा नम्बर 17,21,22,23,25,26,28,29,31,32,33,35,36,78,79,90,91,93,139,14

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ..... बनाम ..... मु. सं.

सायला द्वारा प्रस्तुत शजरा से यह स्पष्ट होता है कि यह एक पारिवारिक मामला है तथा पारिवारिक मामले में रिकार्डेड खातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। चूंकि सायला के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा। यदि दौराने वाद गैरसायल द्वारा आराजी का विक्रय कर दिया गया तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से मुकददमाबाजी बढेगी। ऐसी स्थिति में मुकददमों की बाहुल्यता को रोकने के लिये सायला के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 जगदीशप्रसाद पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी भोजपुर गढहिम्मतसिंह तहसील महवा को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम भण्डपुरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 51,52,53,54,55,56,57 कुल किता 7 रकबा 1.62 हैक्टयर व ग्राम गढहिम्मतसिंह की भूमि _____ खसरा नम्बर17,,21,22,23,25,26,28,29,31,32,33,35,36,78,79,90, 91,93,139,143,146,147,148 कुल किता 23 रकबा 4.64 हैक्टयर में सायलान के हिस्सा के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी को रहन विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें।पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प–गढहिम्मतसिंह